समाचार

06, 13, 17 अप्रैल को बंद रहेगा पशुवध कार्य

(निगम क्षेत्र के समस्त पशुवधकर्ताओं को निगम ने दिए निर्देश)

कोरबा 03 अप्रैल 2019 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा क्षेत्र के समस्त वध शालाओं में पशुवधकर्ताओं को निर्देश दिए गए है कि वे 06 अप्रैल, 13 अप्रैल एवं 17 अप्रैल को पशुवध का कार्य कदापि न करें, निर्देश देते हुए उनसे कहा गया है कि यदि किसी भी दुकान में मांस का विक्रय करते हुए पाया जाता है तो मांस जप्त करने के साथ ही संबंधित के विरूद्ध यथोचित वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।

निगम के सम्पत्तिकर अधिकारी श्रीधर बनाफर ने बताया कि 06 अप्रैल गुडीपडवा चैतीचांद, 13 अप्रैल को रामनवमीं एवं 17 अप्रैल को महावीर जयंती दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त वधशालाओं में पशुवध का कार्य प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने बताया कि निगम क्षेत्र के समस्त पशुवधकर्ताओं को निगम द्वारा आदेश दिए गए हैं कि उपरोक्त तिथियों में वे किसी प्रकार के पशुवध का कार्य न करें और न ही मांस आदि की बिक्री करें। किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाए जाने पर मांस को जप्त करने के साथ ही संबंधित के विरूद्ध यथोचित वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।